1/17 IV

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CT 377847

ट्रस्ट डीड

13-1-17

मैं अमित कुमार सिंह पुत्र भूपेन्द्र बहादुर सिंह निवासीग्राम व पो0 महुआडाबर तहसील हर्रैया जिला बस्ती का निवासी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि **द्रोपती सिंह भूपेन्द्र सिंह एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट** के नाम से एक ट्रस्ट कायम करू, जिससे समाजसेवा व शिक्षा के क्षेत्र का उत्थान हो सके साथ ही आध्यामिक विचारो का भी प्रचार प्रसार भी हो सके। इसलिए अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु " **द्रोपती सिंह भूपेन्द्र सिंह एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट** " बनाने का मैंने संकल्प लिया है। मैं ईश्वर की कृपा से प्रेरित होकर आज दिनाक-13.01.2017 को इस ट्रस्ट की घोषणा करता हूँ। इस शुभ कार्य के लिए मु0-5001/रूपया इस ट्रस्ट को समर्पित किये है। जो इस ट्रस्ट की स्थायी निधि होगी। ट्रस्ट की कोई चल या अचल सम्पत्ति नही है, इस ट्रस्ट का नाम कार्यालय उद्‌देश्य कार्यालय कार्यक्षेत्र कार्य एवं कार्यविधि निम्न प्रकार होगी:-

1- ट्रस्ट का नाम-द्रोपती सिंह भूपेन्द्र सिंह एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट

2- ट्रस्ट का पता- ग्राम व पो0 महुआडाबर तहसील हर्रैया जिला बस्ती।

3- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण भारत वर्ष

D.S. Public School PRINCIPAL Babhnan, Gonda (U.P.)

D.S. Public School MANAGER Babhnan, Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 177881

4-ट्रस्ट का उद्देश्य-

1. ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक व पैरा मेडिकल चिकित्सालय, इन्जीनियरिंग, मैनेजमेन्ट, बी0टी0सी0 एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओ की स्थापना उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।
2. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
3. ट्रस्ट द्वारा विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
4. ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था मे भरपूर मदद करना।
5. ट्रस्ट द्वारा लाइब्रेरी खेलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना।
6. ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा अन्य कारण वश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच मे ही छोड़ देने वाली महिलाओं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम पत्राचार कोर्स चलाना
8. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा उच्च शिक्षा प्रबन्धकीय शिक्षा कृषि शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना

MANAGER

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 177882

9. ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर मे युवक/युवतियों व बालक/बालिकाओ के लिए खेलकूद व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनो को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

10. ट्रस्ट द्वारा बालक बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, शार्टहैंड, फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

11. ट्रस्ट द्वारा वृद्ध असहाय तथा अक्षम महिलाओं एवं पुरूषो हेतु वृद्धाश्रम संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

12. ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना। नदियो जलाशयो की सफाई मलिन बस्ती का सुधार वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना

13. विधवा-विवाह व दहेज रहित विवाह तथा सामूहिक विवाह के लिए समाज को कथाओं-प्रवचनों, गोष्ठियो के माध्यम से जाग्रत करना एवं प्रोत्साहित करना।

14. ट्रस्ट द्वारा सम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना

15. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना कर उन्हे प्रशिक्षण देकर व्यवसाय करने हेतु आत्मनिर्भर बनाना तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला के श्रम का श्रमार्जन करना।

अमित कुमार सिंह

PRINCIPAL   MANAGER

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 071635

16. ट्रस्ट द्वारा विकलांगो, मूक-बधिरो, नेत्रहीनो, मंद बुद्धि मानसिक रोगियो व कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी पर जोर देना। शिक्षा तकनीकी शिक्षा, रोजगारपरक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानवशक्ति विकास स्वच्छ शान्ति वातावरण सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना। जिससे ये लोग समाज मे प्रतिस्थापित हो और स्वावलम्बी बन सके।

17. ट्रस्ट द्वारा हस्तकरघा, शक्तिकरघा, पापड़ उद्योग, अचार, सिरका, नमकीन, खाद्य तेलघानी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, मूर्तिकला, पेन्टिंग, हस्तकला, हस्तकागज, वस्त्रउद्योग, चिकन, होजरी, सिलाई, कढाई, जूट सामग्री, रेडीमेड सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उद्योग, मूर्तिकला, चित्रकला, काष्ठकला, हाथकागज, लिफाफा, फाइबर गिलास, मसरूम, कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन एवं तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण, खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधा रोपण, नर्सरी वनीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी कताई, कम्प्यूटर शार्टहैंड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, उद्योग आदि की उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय मे लगे लोगो का उत्थान करना।

18. ट्रस्ट द्वारा जड़ी बूटी व औषधीय पौधे का प्रचार प्रसार व संचालन एवं औषधी पौधो के बारे मे उपलब्धता और जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियो मे अनुसंधान शिक्षा प्रसार प्रचार की व्यवस्था करना।

Public School
PRINCIPAL
Babhnan, Gonda (U.P.)

N. S. Public School
MANAGER
Babhnan, Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 071637

19. ट्रस्ट द्वारा बेरोजगार युवक/युवतियो को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना व उक्त व्यवसाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उन्हे हर सम्भव सहायता करना।

20. ट्रस्ट द्वारा जनसंख्या वृद्धि परिवार कल्याण नियोजन लिंग भेद भ्रूण हत्या का निरोधन स्थिर रखने हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार व्यापक अभियान स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन करना तथा समस्त लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु सूचना शिक्षा तथा संप्रेषण के माध्यम से सुदूर ग्रामो तक परिवार कल्याण कार्यक्रमो को पहुचाने का कार्य करना एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाये प्रदान करना।

21. ट्रस्ट द्वारा एच0आई0वी0/एड्स को नियंत्रित करना तथा यौन संचारित सक्रमणीय रोग का उपचार करना और राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के बीच अधिक से अधिक एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करना पल्स पोलियो अभियान का कार्य करना।

22. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियो, जंगल वासियो, आदिवासियो, अल्पसंख्यको, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गो व अतिकमजोर विस्थापित व अप्रवासी/प्रवासी गरीबो को हर सम्भव सहायता व परामर्श देना।

23. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सम्प्रदायो मे आपसी भाईचारा स्थापित करने हेतु अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना व जनमानस मे प्रचार प्रसार करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 071636

24. ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण कर दिशा निर्देशन एवं प्रचार प्रसार एवं रोकथाम करना। प्रदूषण रहित परियोजनाओ की व्यवस्था निर्माण एवं संचालन करना बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रो/लोगो की मदद हेतु निःशुल्क आवास निर्माण कराकर देना आर्थिक एवं चिकित्सीय मदद पहुँचाना ।

25. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के सजायाफ्ता कैदियो /आजीवन कारावास कैदी के जीवन स्तर को उचा उठाने व समाज मे पुर्नस्थापना व स्वावलम्बी बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधा व पुर्नवास के कार्यक्रमो का संचालन व व्यवस्था करना।

PRINCIPAL

MANAGER

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 071634

26. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी /गैरसरकारी कार्यो/कार्यक्रमों/परियोजनो का एवं संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यो/परियोजनाओ के प्रबन्धन, कार्यान्वयन, कियान्यन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, शोध सांख्यिकी रिकार्ड सर्वे के कार्यो का संचालन व मार्गदर्शक के रूप सम्पन्न कराना तथा कार्यशाला विचार, गोष्ठी का आयोजन व संचालन करना अनुभवी प्रशिक्षको व वैज्ञानिक के सहयोग को उपलब्ध कराना।

27. ट्रस्ट द्वारा समाज मे फैल रहें कुरीतियो, रूढ़िवादी विचारो, अन्धविश्वासो, को समाप्त करने हेतु बुद्धिजीवियो को आंमत्रित करके वैचारिक गोष्ठियो के माध्यम से जनजागरण करना।

28. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागो व्यक्ति/व्यक्तियों स्वयं सेवी संगठनो से परियोजना सम्बन्धी सहयोग व परामर्श प्राप्त करने का कार्य तथा संचालन व प्रबंन्धन करना तथा नोडल एजेन्सी के रूप मे कार्यान्वियन, अनुश्रवण व संचालन का कार्य करना।

29. ट्रस्ट द्वारा निशुल्क प्रौढ़ शिक्षा आगनबाड़ी से सम्बन्धित सेवा जनशिक्षण केन्द्र सहभागी शिक्षण केन्द्रो की स्थापना व संचालन करना।

30. ट्रस्ट द्वारा समाज कल्याण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मलिा, समाज, नेडा, शिफसा, युनेस्को, यू0एन0डी0पी0, कपार्ट, यूनिसेफ, सिडवी, अवार्ड नबार्ड, मनाव संसाधन विकास मंत्रालय, वन विभाग, विलांग एवं कुष्ठ विभाग, अल्प

PRINCIPAL

MANAGER

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 071624

संख्यक कल्याण अयोग, ट्राइसेम, सूडा, डूडा, जल निगम, जल संसाधन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग से सभी प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को प्राप्त करके उनका संचालन करना।

5. <u>ट्रस्ट के धन का विनियोग-</u>

1. ट्रस्ट के धन का विनियोंग आयकर विधान की धाराओं एवं अन्य संबंधित प्राविधानों के उद्‌देश्यों के लिये किया जायेगा।
2. उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिये धन संग्रह करना एवं व्यय करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी अवाश्यक कार्य हो उन्हे करना।

PRINCIPAL

Gonda (U.P.)

MANAGER

Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 071625

3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश-विदेश से दान व ऋण, किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भू-खण्ड या कोई चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल अचल सम्पत्ति का क्रय, विक्रय हस्तांतरण, विनियम, बंधक, दृष्टि बंधक, पट्टे, गिरवी या किसी भी भांति से उपयोग में लाना।

6. ट्रस्ट मण्डल-

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात(07) होगी।
2. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
3. ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर व सचिव का कार्यकाल अजीवन होगा एवं उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर उनके रिक्त स्थान की पूर्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर व सचिव के अनुमति से उनके स्थान पर नियुक्त किया जायेगा

Public School PRINCIPAL Babhnan, Gonda (U.P.)

Public School MANAGER Babhnan, Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 071626

एवं ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति के वारिस की नियुक्ति भविष्य में मेरे परिवार से रक्त सम्बन्धित ही मैनेजिंग ट्रस्टी होगा।

4. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

5. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के हस्ताक्षर द्वारा समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

6. ट्रस्ट के स्थायी, अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से ही किया जायेगा।

7. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।

8. ट्रस्ट मण्डल (कोरम) के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यो का क्रियान्वयन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति के बाद ही मान्य होगा।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल (कोरम) विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा।

PRINCIPAL

Babhnan, Gonda (U.P.)

MANAGER

Babhnan, Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 071627

10. ट्रस्ट मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के अनुमोदन से ट्रस्ट के कार्यो का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु नियमावली बना सकता है एवं उसे जारी कर सकता है।

7. <u>ट्रस्ट की सदस्यता-</u> हर वह स्त्री अथवा पुरूष जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल अथवा दिवालिया न घोषित हो, महामंत्री के अनुमोदन से ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है।

8. <u>ट्रस्टीज के प्रकार-</u>

1. स्थाई सदस्य- जो व्यक्ति ट्रस्ट के नियमानुसार शुल्क 1000/रू0 अदा करेगा व मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के हस्ताक्षर द्वारा उसको सदस्य बनाने की मंजूरी दी जायेगी, व ट्रस्ट का स्थायी सदस्य होगा, उसका कार्यकाल अजीवन होगा।
2. अस्थायी सदस्य- जो व्यक्ति ट्रस्ट के नियमानुसार शुल्क 100/रू0 अदा करेगा व मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के हस्ताक्षर द्वारा उसको सदस्य बनाने की मंजूरी दी जायेगी और उसका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा, उसकी पुनः नियुक्ति भी सम्भव होगी, परन्तु उसकी भूमिका मात्र परामर्श देने की होगी।

9. <u>बैठक-</u> प्रबन्धकारिणी समिति की प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बैठक अवश्य होगी जो आवश्यतानुसार 24 घण्टे पूर्व कभी भी बुलाई जा सकती है।

PRINCIPAL ... School ... Nabhnan, Gonda (U.P.)

MANAGER ... School ... Nabhnan, Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 071628

10. <u>कोरम</u>– बोर्ड आफ ट्रस्टीज के कुल वैध सदस्यों में से मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की उपस्थिति कोरम मानी जायेगी।

11. <u>ट्रस्टीज बोर्ड (कोरम) के अधिकार एवसं कर्तव्य</u>:–

1. पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृति देना।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करके उसे पास करना।
3. आगामती वर्ष के बजट पर चर्चा करके उसे पास करना।
4. ट्रस्टी नियमावली में अध्यक्ष द्वारा किये गये संशोधन को ट्रस्ट हित में मंजूरी देना।
5. किसी विशेष आवश्कता के लिए अध्यक्ष की सहमति से सब कमेटी बनाना।

12. <u>ट्रस्ट मण्डल</u>– मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की अध्यक्षता के अन्तर्गत कार्य करने वाले ट्रस्ट समूह, 'ट्रस्ट मण्डल' कहलायेगा, जिसमें मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर भी सम्मिलित है।

13. <u>बैठक</u>–ट्रस्ट मण्डल की सामान्य बैठक कभी भी तीन दिवस की लिखित सूचना पर एवं विशेष बैइक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित सूचना पर बुलाई जा सकती है।

PRINCIPAL Gonda (U.P.)

Public S... MANAGER Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 071629

14. <u>रिक्त स्थानों की पूर्ति</u>- ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत समय से पहले अचानक किसी पदाधिकरी या सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर व अध्यक्ष की अनुमति से शेष बचे हुये कार्यकाल के लिये किया जायेगा एवं कार्यकाल पूरा होने पर उसकी नियुक्ति उस पद पर आजीवन, स्थायी अथवा जिस व्यक्ति का स्थान खाली हुआ है उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर व अध्यक्ष की सहमति से किया जायेगा। बोर्ड आफ ट्रस्टीज के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर व अध्यक्ष ताउम्र अपने पद पर बने रहेंगें एवं ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति के वारिस की नियुक्ति भविष्य में मेरे परिवार से रक्त सम्बन्धित ही मैनेजिंग ट्रस्टी होगा।

15. <u>ट्रस्ट का कोष</u>- ट्रस्ट का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसकर आहरण मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर व अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

16. मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर ट्रस्टीज के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिये आवश्यक कार्य करना
2. ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना/करवाना।
3. ट्रस्ट द्वारा अर्जित चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हर वो कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हो।

PRINCIPAL ... Public School ... Babhnan, Gonda (U.P.)

MANAGER ... Public S... Babhnan, Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 071630

4. संस्था को आगे बढ़ाने के लिये 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एसी के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

17. <u>ट्रस्ट कार्यकारणी के पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य-</u>

<u>मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर</u>

1. ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी होगा।
2. ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3. ट्रस्ट के कार्यालयी प्रबंध देखना।
4. ट्रस्ट द्वारा अर्जित चल एवं अचल सम्पत्ति की देख-रेख व सुरक्षा करना।
5. ट्रस्ट को अपना संरक्षण प्रदान करना।
6. ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में अपाना हर सम्भव सहायता प्रदान करना।
7. वह समस्त कार्य करना, जिससे संस्था का हित हो।
8. बिल वाउचरो पर हस्ताक्षर करना।
9. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा मुक्त करना।
10. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
11. समस्त संस्थाओं/एजेन्सियों/विभागों/ मंत्रालयों से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।

Public School PRINCIPAL Babhnan, Gonda (U.P.)

V. S. Public School Babhnan, Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 071631

12. ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियाँ/यूनिटें सम्मिलित हैं) का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
13. ट्रस्ट के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना अथवा ऐसा करने की संस्तुति देना।
14. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
15. ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
16. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षर से करना।

अध्यक्ष-

1. सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

उपाध्यक्ष-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करेगा व सहयोग प्रदान करेगा।

सचिव-

1. ट्रस्ट की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
2. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।

PRINCIPAL ... Public School ... Babhnan, Gonda (U.P.)

MANAGER ... Public School ... Babhnan, Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 071632

3. ट्रस्ट के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
4. ट्रस्ट के सदस्यों एवं कार्म्चारियों के लिये कल्याणकारी योजनाएं बनान।
5. ट्रस्ट के बैठको की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को लिखित रूप में देना।
6. बैठको के लिये दिनांको का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।
7. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।
8. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
9. समस्त सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौपना उनके कार्य क्षेत्र एवं दयित्वों में परिवर्तन, परिवर्धन करना।
10. प्रशासकीय कार्यो के दायित्व का निर्वाहन करना।

कोषाध्यक्ष-

1. ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. ट्रस्ट के विकास हेतु दान-अनुदान, चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथावधि रसीद देना।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
4. आवश्यकता अनुसार आडिट कराना व अपनी रिर्पोट से मैनेजिंग कमेटी को अवगत कराना।
5. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से कराना।

PRINCIPAL

Public School

Babhnan, Gonda (U.P.)

MANAGER

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AD 608181

प्रतिबन्धों की बाध्यता :–

क– विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ख– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

ग– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजेकेशन नई दिल्ली से प्राप्त है तो उक्त परीक्षा परिषदों में सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

घ– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

ङ– कर्मचारियों की सेवा शर्तें जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

च– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

छ– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हां तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से झ तक स्वीकार है।

ज– उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

अमित कुमार सिंह

अमित कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AD 608182

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	अमित कुमार सिंह पुत्र मूपेन्द्र बहादुर सिंह	ग्रा0 व पो0 महुआडाबर बस्ती।	मुख्य न्यासी/ अध्यक्ष	समाज सेवा
2.	श्रीमती द्रोपती सिंह पत्नी मूपेन्द्र बहादुर सिंह	ग्रा0 व पो0-महुआडाबर, बस्ती।	सचिव	गृहिणी
3.	भूपेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 श्रीराज सिंह	ग्रा0-व, पो0 महुआडाबर, बस्ती।	उपाध्यक्ष	कृषि
4.	श्रीमती सारिका सिंह पत्नी अमित कुमार सिंह	ग्रा0-व पो0 महुआडाबर, बस्ती।	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
5.	रनवीर सिंह पुत्र देवकी नन्दन सिंह	ग्रा0-सुसाह पो0 बलरामपुर, बलरामपुर।	सदस्य	समाजसेवा
6.	आनन्द कुमार सिंह पुत्र वीर विक्रम सिंह	ग्रा0-निकट मेजर चौराहा पो0व जिला बलरामपुर	सदस्य	नौकरी

PRINCIPAL
Babhnan, Gonda (U.P.)

MANAGER
Babhnan, Gonda (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AD 608187

7.	रविप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 सत्यप्रकाश सिंह	ग्राम आवास विकास कालोनी पो0 गांधीनगर तहसील व जिला बस्ती	सदस्य	नौकरी

न्यासी अमीर कुमार सिंह

गवाह प्रथम

जटाशंकर सिंह
पुत्र श्री गिरजा सिंह
ग्रा॰ बे॰ पो॰ महुआबर
जिला- बस्ती

गवाह द्वितीय

रंजीत कुमार
(पुत्र रामनाथन
सा॰ बेलवारिया जंगल
टोला- पंडितपुरवा
पो॰ बेलवारिया जंगल
तह॰ हर्रैया जिला- बस्ती)

PRINCIPAL ... Gonda (U.P.)

लेखक :- ... अधिवक्ता व॰ प्र॰ ... सी॰ न॰ 83 दि॰ - 12-07-2016

S. Public School MANAGER Babhnan, Gonda (U.P.)